कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सपरार प्रखण्ड, झांसी

पत्रांक : /डी–44/स0प्र0/ 858 दिनांक, झांसी सितम्बर 23/2019

विषय : जनपद हमीरपुर में बिलरायां–पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग–21) के चैनेज 430.000 से 448.680 एवं राठ बाईपास कि0मी0 1 से 5 तक फौरलेन में चौड़ीकरण एवं सुद्धढ़ीकरण कार्य में नहर पड़ने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के सम्बंध में।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 130/सि–1, दिनांक 20.9.2019 के द्वारा इस कार्यालय से राठ बाईपास पर फौरलेन में चौड़ीकरण एवं सुद्धढ़ीकरण कि0मी0 1 से 5 तक के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बधं में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न प्रतिबंधो के साथ दी जाती है।

1. कार्य प्रारम्भ होने से पहले कार्य प्रारम्भ की तिथि एवं समय से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. कार्य के दौरान माईनर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुचांई जायें व कार्य के दौरान पानी का बहाव अवरूद्ध न किया जाये। यदि कार्य के दौरान माईनर में किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिपूर्ती आपके द्वारा वहन की जायेगी।
3. कार्य के दौरान माईनर की तली व बैंक पर मलवा न छोड़ा जाये।
4. निर्माण कार्य इस खण्ड के अधीनस्थ खण्ड के सम्बंधित सहायक/जूनियर इंजीनियर की देख–रेख में किया जाये।
5. निर्माण कार्य इस खण्ड के अधीनस्थ खण्ड के सम्बंधित सहायक/जूनियर इंजीनियर की देख–रेख में न होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
सपरार प्रखण्ड, झांसी

पत्रांक : /डी–44/स0प्र0/ /तदिनांक,

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर चतुर्थ, सपरार प्रखण्ड, झांसी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

24/09/2019
अमित कुमार
अवर अभियन्ता (सिविल)
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
हमीरपुर

अधिशासी अभियन्ता
सपरार प्रखण्ड, झांसी